वित्त मंत्रालय मांग संख्या 23 आर्थिक कार्य विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए) बजट 2000-2001 संशोधित 2000-2001 बजट 2001-2002 मुख्य शीर्ष आयोजना आयोजना-भिन्न जोड आयोजना आयोजना-भिन्न जोड आयोजना आयोजना-भिन्न जोड़ राजस्व 300.45 979.58 1280.03 302.04 960.99 1263.03 303.80 1092.57 1396.37 पूंजी 114.16 115.01 100.50 115.01 100.50 1.15 113.01 जीड 1395.04 1205.58 1510.53 300.45 1094.59 302.04 1061.49 1363.53 304.95 1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं 2052 34.25 34.25 32.69 32.69 35.10 35.10 अन्य राजकोषीय सेवाएं राष्ट्रीय बचत संगठन 2047 20.00 20.00 18.45 18.45 20.89 20.89 अनिवार्य जमा (आयकर दाता) योजना, 1974 के अन्तर्गत जमा रकम पर ब्याज 2047 6.00 6.00 3.00 3.00 3.00 3.00 . . . अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की वर्धित संरचनात्मक समायोजना सुविधा न्यास के आर्थिक सहायता लेखें में अंशदान 4.36 2047 4.36 4.50 4.50 4.63 4.63 5. अन्य व्यय 2047 9.93 9.93 11.59 11.59 18.67 18.67 अन्य प्रशासनिक सेवाएं औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण संबंधी अपीलीय प्राधिकरण 2070 1.46 1.49 1.49 1.46 1.36 1.36 औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड 2070 7.22 7.22 6.64 6.64 6.97 6.97 ऋण वसूली न्यायाधिकरण 2070 7.71 7.71 8.90 8.90 13.46 13.46 ग्यारहवां वित्त आयोग 2070 1.93 1.93 1.91 1.91 10. बीमा विकास और विनियामक प्राधिकरण को सहायता अनुदान 2070 3.00 3.00 2.70 2.70 2.84 2.84 11. अन्य व्यय 2070 0.50 0.50 0.50 0.50 0.18 0.18 विविध सामान्य सेवाएं 12. अन्य कार्यक्रम 2075 0.02 0.02 2.04 0.02 2.06 3.80 0.02 3.82 13. कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना के तहत मुद्रा हानि 2075 578.95 578.95 ... घटाइए- नामे अधिशेष बकाया का शोधन 8012 -578.95 -578.95 निवल ... सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 14. साधारण बीमा निगम आदि के माध्यम से गरीबों के लिए बीमा-योजना 14.01 झोंपड़ी बीमा योजना 2235 3.05 3.05 2.10 2.10 14.02 वैयक्तिक दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना 2235 4.35 4.35 2.75 2.75 जोड़ 7.40 7.40 4.85 4.85 15. नवम्बर 1984 के दंगों से प्रभावित लोगों को ऋण पर ब्याज राहत 2.28 1.50 1.50 2.27 2235 2.28 2.27 16. केन्द्रीय सड़क निधि 16.01 केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरण 3054 300.00 300.00 16.02 मोटर स्पिरिट तथा उच्च गति डीजल पर अतिरिक्त उदग्रहणों के प्रति रेलवे सुरक्षा कार्यों के लिए अंशदान 3054 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 16.03 *घटाइए*- केन्द्रीय सड़क निधि से पूर्ति 3054 -300.00 -300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 जोड़ 300.00 300.00 ... नौवहन के लिए ऋण 17. नौवहन कंपनियों के लिए ऋण 7052 1.15 1.15 अन्य परिवहन सेवाएं 18. लाभांश राहतों और अन्य रिआयतों के लिए रेलवे को आर्थिक सहायता 3075 791.00 791.00 793.00 793.00 913.00 913.00 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं 19. युद्ध-जोखिम (मेरिन-हल्स) पुनर्बीमा योजनाएं आदि 3475 0.75 0.75 0.03 0.03 0.52 0.52 20. आपात जोखिम बीमा निधि - अंतरण 9.96 को 3475 13.44 9.96 13.44 10.69 10.69 ... से 3475 -0.75 -0.75 -0.50 -0.50 ... निवल 12.69 12.69 10.69 10.69 9.46 9.46 ...

श्रवण कुमार/पहली प्रति

		ਕ੍ਰਾਟ 2000-2001			संशोधित 2000-2001			(करोड़ रुपए) बजट 2001-2002		
	मुख्य शीर्ष		८ 2000-200 आयोजना-भिन्न		आयोजना	अयोजना-भिन्			८ २००१-२०० आयोजना-भिन्न	
21. भारतीय निवेश केन्द्र को अनुदान	3475		2.45	2.45		2.45	2.45		2.70	2.70
22. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	3475		10.53	10.53		10.54	10.54		5.54	5.54
23. अनिवासी भारतीय बांड योजना के अंतर्गत मुद्रा हानि	3475		13.53	13.53		3.00	3.00		8.16	8.16
24. एमआरएल में निवेश के कारण राष्ट्रीय ईरानी तेल कंपनियों										
को मुद्रा हानि	3475		2.00	2.00		1.40	1.40			
25. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड										
को सहायता	7475		0.01	0.01					0.01	0.01
26. अन्य व्यय	0.45	8.40	8.60	0.45	8.14	8.59		8.75	8.75	
अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग										
आथक सहयाग 27. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को अंशदान	3605		19.57	19.57		20.84	20.84		21.13	21.13
28. अन्य देशों के साथ सहयोग	3605		12.60	12.60		12.61	12.61		13.47	13.47
29. विदेशी सरकारों को अग्रिम	0000		12.00	12.00		12.01	12.01		10.47	10.47
(क) इराक	7605		20.00	20.00		5.00	5.00		3.00	3.00
(ख) लाओस	7605		3.00	3.00		8.00	8.00		1.00	1.00
(ग) माँरिशस	7605		5.00	5.00		7.00	7.00		4.00	4.00
(घ) म्यांमार	7605		18.00	18.00		18.00	18.00		10.00	10.00
(ङ) श्रीलंका	7605		15.00	15.00		15.00	15.00		46.00	46.00
(च) वियतनाम	7605		35.00	35.00		35.00	35.00		35.00	35.00
(छ) मध्य एशियाई गणतंत्र (कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान,										
(कजाकस्तान, उजबाकस्तान, किरगीज़स्तान और										
तुर्कमेनिस्तान)	7605		17.00	17.00		5.00	5.00		10.00	10.00
(ज) संशल्स	7605		2.00	2.00		7.50	7.50		1.00	1.00
(झ) कम्बोडिया	7605								3.00	3.00
(-)	जोड़		115.00	115.00		100.50	100.50		113.00	113.00
कुल जोड़		300.45	1094.59	1395.04	302.04	1061.49	1363.53	304.95	1205.58	1510.53
ग. आयोजना परिव्यय	विकास	बजट	आं.ब.	जोड़	बजट	आं.ब.	जोड़	बजट	आं.ब.	जोड़
_	शीर्ष	समर्थन	बा.सं.		समर्थन	बा.सं.		समर्थन	बा.सं.	
1. नौवहन	13052							1.15		1.15
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	22235	0.45		0.45						
3. सड़कें और पुल	13054	300.00		300.00	300.00		300.00	300.00		300.00
4. विविध सामान्य सेवाएं	32075		•••		2.04		2.04	3.80	•••	3.80
जोड़		300.45	•••	300.45	302.04	•••	302.04	304.95	•••	304.95

- 1. इसमें आर्थिक कार्य विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।
- 2. इसमें देश भर में क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क सहित राष्ट्रीय बचत संगठन के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।
- 3. यह प्रावधान अनिवार्य जमा (आयकरदाता) योजना के तहत ब्याज संदाय पर व्यय के लिए हैं। अनिवार्य जमा (आयकरदाता) अधिनियम, 1974, 1.4.1996 से निरस्त कर दिया गया है और वापस न ली गई जमाराशियों पर उस तारीख से ब्याज लगना बंद हो जाएगा। यह प्रावधान 31.3.1996 तक वापस न ली गई जमाराशियों पर ब्याज संदाय के लिए है।
- 4. यह प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की वर्धित संरचनात्मक समायोजन सुविधा न्यास निधि में भारत के अंशदान के लिए किया गया है।
- 5. इसमें मुख्यतः बचत प्रमाण पत्रों, चैक बुकों आदि के मुद्रण की लागत, अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत अदायिगयों, प्रतिभूतियों में लेन-देन से संबंधित अनियमितताओं की जांच हेतु गठित अभिरक्षक तथा विशेष न्यायालय के कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रेजीडेंट के कार्यालय और यू.एन.सी.टी.ए.डी. न्यास निधि मे अंशदान के लिए प्रावधान किया गया है।
- 6-9. यह प्रावधान औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण संबंधी अपीलीय प्राधिकरण, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, ऋण वसूली न्यायाधिकरण तथा 11वें वित्त आयोग के लिए है।
- 10. यह प्रावधान बीमा विकास तथा विनियामक प्राधिकरण को सहायता प्रदान करने के लिए है।
 - 11. यह प्रावधान प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए है।

- 12. इसमें मियादी मामलों में केन्द्रीय प्रतिभूतियों पर ब्याज संदायों और सरकारी खातों में जमा अस्वामिक प्रतिभूतियों तथा ईरान सरकार के कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड को दिए गए ऋण पर हानि के लिए विनिमय परिवर्ती तथा यू.एन.डी.पी. द्वारा वित्तपोषित आर्थिक सुधार कार्यक्रम के लिए सहायतानुदान के संबंध में भुगतान के लिए प्रावधान शामिल है।
- 13. यह प्रावधान पुनर्भुगतान किए जा चुके उस ऋण जो जमा लेखे में नामे शेष के रूप में बकाया है के संबंध में विनिमय दर परिवर्ती के कारण देनदारियों के समाशोधन के लिए है।
- 14. यह प्रावधान साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा निर्धनों के लिए चलाई जा रही विभिन्न बीमा योजनाओं के लिए है।
- 15. इसमें नवम्बर, 1984 के दंगों से प्रभावित लोगों को उनके अपने सामान्य व्यवसाय में लगाने तथा अपने घरों की मरम्मत करने आदि में समर्थ बनाने हेतु वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज संबंधी राहत देने के लिए प्रावधान किया गया है।
- 16. पेट्रोल तथा डीजल पर 1 रुपया प्रति लीटर की दर से लगाया गया उपकर भारत के लोक लेखा में केन्द्रीय सड़क निधि में जमा कर दिया जाता है। यह अंशदान स्वतः चालित रेलवे क्रासिंग पर रेलवे उपरिसेतुओं/रेलवे सुरक्षा कार्यों के निर्माण के वित्तपोषण हेतु है।
- 17. यह प्रावधान भूतपूर्व नौवहन विकास निधि समिति की पिछली वचनबद्धाओं को पूरा करने के संबंध में नौवहन कम्पनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है।
- 18. यह सामान्य राजस्व में से लाभांश राहत और रेलवे को देय अन्य रिआयतों के लिए आर्थिक सहायता का द्योतक है।

19 और 20. विभिन्न जोखिम बीमा योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त प्रीमियमों को लोक खाते की आरक्षण निधि में अन्तरित कर दिया जाता है जिसमें से इन योजनाओं के व्यय को पूरा किया जाता है। ये लेन-देन भारतीय समेकित निधि के माध्यम से किए जाते हैं। व्यय का यह प्रावधान मुख्यतया युद्ध जोखिम (मेरीन हल्ज) पुनर्बीमा योजना के लिए है; इसमें आपात जोखिम (माल, कारखाने तथा उपक्रम) बीमा योजनाओं की बकाया देय राशि का निपटान भी शामिल है।

- 21. यह अनुदान सहायता भारतीय निवेश केन्द्र को अपने स्थापना व्यय पूरा करने के लिए दिया जाता है। भारतीय निवेश केन्द्र भारत में अनिवासी भारतीयों द्वारा दिए जाने वाले निवेश सिहत विदेशी निवेशों को प्रोत्साहित करता है, विदेशों से प्रौद्योगिकी का आयात सुलभ कराता है और भारत की निवेश नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में विदेशी निवेशकों को सूचना प्रदान करता है।
- 22. इसमें एशियाई विकास बैंक की तकनीकी सहायता योजना के लिए और तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमंडल निधि में अंशदान के लिए प्रावधान शामिल है।
- 23. अनिवासी भारतीय बांड योजना के अंतर्गत मुद्रा हानि के लिए प्रावधान किया गया है।
- 24. 1974 तथा 1977 के दौरान ईरान से तेल क्रेडिट पर ब्याज के भुगतान हेतु 2.931 मिलियन डालर की राशि, मुद्रा हानि के प्रति रुपया अधिशेष संरक्षण

सिहत, भारत में रुपया खाते में रखी गई थी। यह प्रावधान इस व्यय को पूरा करने हेत् है।

- 25. कार्यालय के लिए भवनों के अधिग्रहण हेतु एस.ई.बी.आई. के लिए तदर्थ प्रावधान किया गया है।
- 26. इसमे भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण; वार्शिगटन और टोकियों में भारत के राजदूतावास के आर्थिक स्कंध; आर्थिक अध्ययन अनुसंधान के लिए संस्थाओं/संगठनों को अनुदान आदि के लिए प्रावधान शामिल है।
- 27 और 28. इसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में अंशदान और कोलम्बो योजना के अंतर्गत दक्षिण-पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता और विश्व पर्यावरणीय सुविधा, जो विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विकसित एक प्रायोगिक कार्यक्रम है, को अंशदान के लिए प्रावधान शामिल है जिसके अंतर्गत विकासशील देशों को विश्व पर्यावरण का संरक्षण करने वाले उनके कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सहायता हेतु अनुदान अथवा रिआयती ऋण प्रदान किए जाएंगे।
- 29. इसके अंतर्गत मित्र विकासशील देशों को उदार शर्तों के आधार पर ऋण देने के लिए प्रावधान किया गया है।